आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1		3

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, नगर उंटारी ।

नामांतरण अपील वाद सं० 05/17-18

मुन्नी तिवारी —————— अपीलार्थी

बनाम

आशुतोष चौबे —————— प्रत्यार्थी

आदेश

12.9.2017

अभिलेख अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित ।

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं० 568/16-17 में दिनांक 30.10.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। अपील आवेदन-पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है। जिसके लिए विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से विलम्ब दूर करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना । अपील आवेदन-पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गई।

अपीलार्थी उपस्थित । प्रत्यार्थी को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया । प्रत्यार्थी अनुपस्थित । अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख प्राप्त । विगत कई तिथियों से प्रत्यार्थी अनुपस्थित । तत्पश्चात अभिलेख एकपक्षीय सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व ग्राम-पुरना नगर के खाता सं० 62 प्लॉट 452 रकबा 0.54 एकड़ भूमि का

मांग कंचन तिवारी, ग्राम - महिपुरवा के नाम चलता था। जिसमें रेलवे विभाग में 0.37 एकड़ भूमि चला गया। प्रश्ननगत प्लॉट में मात्र 0.17 डी ही भूमि बचा। कंचन तिवारी जमाबंदीधारी अपने जीवन काल में 0.11 डी. भूमि अपने दोनों पुत्र अवधेश्वर तिवारी एवं शिवेश्वर तिवारी को 0.06 डी. भूमि आपसी बटवारे में दिया गया। प्रश्ननगत भूमि का बटवारा वर्ष 1967 में की गई है। जमाबंदीधारी स्वर्गत कंचन तिवारी की भूमि 0.37 डी. रेलवे में चले जाने के उपरान्त भी मांग पंजी II में मांग को घटाया नहीं गया है अभी भी मांग कंचन तिवारी के नाम से चलता है। प्रश्ननगत प्लॉट में मात्र 0.17 डी. भूमि बची थी। जिसमें 0.06 डी. अजय कुमार एवं 0.11 डी. मुनी तिवारी के हाथों बिक्री कर दी गई। जिसका दाखिल खारिज भी हो गया। प्रश्ननगत बचे प्लॉट में भूमि बची ही नहीं है तो अंचल अधिकारी के द्वारा प्रत्यर्थी के नाम से नामांतरण कैसे कर दिया गया। जबकि अंचल अधिकारी के द्वारा अन्य खरीददार एवं हितेदारों को नोटिस भी निर्गत नहीं किया गया। अंचल अधिकारी के द्वारा नामांतरण की प्रक्रिया विधानुसार नहीं किया गया है। संपूर्ण अभिलेख में एक ही तिथि में आदेश पारित कर दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी के द्वारा तथ्य को छुपाकर आदेश एक ही तिथि में नामांतरण कर दिया गया है, जो गलत है।

अतः अंचल अधिकारी, नगर उंचारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2016 को

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	निरस्त करते हुए अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत की जाए। प्रत्यर्थी अनुपस्थित। एक पक्षीय सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना। उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि नामांतरण वाद सं 568/16-17 दिनांक 30.10.2016 में राजस्व शिविर में नामांतरण की कार्रवाई की गई है जिसमें अंचल अधिकारी के द्वारा आदेश फलक में नामांतरण की स्वीकृति नहीं दी गई है सीधे शुद्धि पत्र निर्गत किया गया है जो संदेहात्मक प्रतीत होता है अत: अंचल अधिकारी नगर उंटारी द्वारा दिनांक 30.10.2016 को नामांतरण वाद सं 568/16-17 में दिनांक 30.10.2016 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है साथ ही अपीलार्थी का अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) भूमि सुधार उपसमाहर्ता नगर उंटारी। (हस्ताक्षर) भूमि सुधार उपसमाहर्ता नगर उंटारी।	